

परिशिष्ट
(देखिए नियम 6)

फार्म- 'क'

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परियोजना विवरण

(I)	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/ परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण	अधिशाली अभियन्ता कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम पिपरी-सोनभद्र द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग के दुद्धी, बघाडू एवं विण्ढमगंज रेंज एवं ओबरा वन प्रभाग के कोन रेंज में कनहर सिंचाई परियोजना की दायीं एवं बायीं कनहर नहर एवं इन मुख्य नहरों से निकलने वाली शाखाओं, राजवाहों एवं अल्पिकाओं के निर्माण हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण।																																																
(II)	1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	संलग्न है।																																																
(III)	परियोजना की लागत	लगभग रु0 2239.35 करोड़																																																
(IV)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	परियोजना पूर्ण रूपेण वन क्षेत्र में स्थापित नहीं हो रही है। इसमें ग्राम समाज एवं कृषक भूमि भी आती है। नहर की लम्बाई ज्यादा होने के कारण आंशिक रूप से वन भूमि आ रही है। परियोजना के निर्माण से दुद्धी एवं राबर्ट्सगंज तहसील के कृषक लाभान्वित होंगे।																																																
(V)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)	संलग्न है।																																																
(VI)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	उक्त कार्य में स्थानीय ग्रामवासियों को कार्य करने का अवसर प्रदान होगा। इसमें कुशल एवं अकुशल मिलाकर लगभग 10.00 लाख मानव दिवस के कार्य का सृजन होगा।																																																
2	कुल अपेक्षित वन भूमि का उद्देश्य विवरण	<table><tr><td colspan="4">1-हस्तान्तरण हेतु अपेक्षित वन भूमि का विवरण</td></tr><tr><td>क्र० सं०</td><td>राज्य का नाम</td><td>वन भूमि का रकबा (हे० में)</td><td>अभ्युक्ति</td></tr><tr><td>1-</td><td>उ०प्र०</td><td>127.1637</td><td>उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्ताव प्रेषित</td></tr><tr><td>2-</td><td>छत्तीसगढ़</td><td>156.295</td><td>छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रस्ताव प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है।</td></tr><tr><td>3-</td><td>झारखण्ड</td><td>91.32</td><td>झारखण्ड राज्य द्वारा प्रस्ताव प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है।</td></tr><tr><td colspan="2">योग =</td><td>374.7787</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">उत्तर प्रदेश राज्य की प्रस्तावित वन भूमि का प्रभागवार विवरण-</td></tr><tr><td>क्र० सं०</td><td>वन प्रभाग</td><td colspan="2">वन भूमि का रकबा (हे० में)</td></tr><tr><td>1-</td><td>रेनुकूट वन प्रभाग</td><td colspan="2">103.6750</td></tr><tr><td>2-</td><td>ओबरा वन प्रभाग</td><td colspan="2">23.4887</td></tr><tr><td colspan="2">योग</td><td colspan="2">127.1637</td></tr><tr><td colspan="4">नोट :-छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड राज्यों द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही उनके क्षेत्रीय आंचलिक कार्यालयों के माध्यम से की जा रही है।</td></tr></table>	1-हस्तान्तरण हेतु अपेक्षित वन भूमि का विवरण				क्र० सं०	राज्य का नाम	वन भूमि का रकबा (हे० में)	अभ्युक्ति	1-	उ०प्र०	127.1637	उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्ताव प्रेषित	2-	छत्तीसगढ़	156.295	छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रस्ताव प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है।	3-	झारखण्ड	91.32	झारखण्ड राज्य द्वारा प्रस्ताव प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है।	योग =		374.7787		उत्तर प्रदेश राज्य की प्रस्तावित वन भूमि का प्रभागवार विवरण-				क्र० सं०	वन प्रभाग	वन भूमि का रकबा (हे० में)		1-	रेनुकूट वन प्रभाग	103.6750		2-	ओबरा वन प्रभाग	23.4887		योग		127.1637		नोट :-छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड राज्यों द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही उनके क्षेत्रीय आंचलिक कार्यालयों के माध्यम से की जा रही है।			
1-हस्तान्तरण हेतु अपेक्षित वन भूमि का विवरण																																																		
क्र० सं०	राज्य का नाम	वन भूमि का रकबा (हे० में)	अभ्युक्ति																																															
1-	उ०प्र०	127.1637	उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्ताव प्रेषित																																															
2-	छत्तीसगढ़	156.295	छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रस्ताव प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है।																																															
3-	झारखण्ड	91.32	झारखण्ड राज्य द्वारा प्रस्ताव प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है।																																															
योग =		374.7787																																																
उत्तर प्रदेश राज्य की प्रस्तावित वन भूमि का प्रभागवार विवरण-																																																		
क्र० सं०	वन प्रभाग	वन भूमि का रकबा (हे० में)																																																
1-	रेनुकूट वन प्रभाग	103.6750																																																
2-	ओबरा वन प्रभाग	23.4887																																																
योग		127.1637																																																
नोट :-छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड राज्यों द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही उनके क्षेत्रीय आंचलिक कार्यालयों के माध्यम से की जा रही है।																																																		
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	कोई नहीं।																																																
(I)	परिवारों की संख्या	कोई नहीं।																																																
(II)	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	कोई नहीं।																																																
(III)	पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)	लागू नहीं है।																																																
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	हाँ, स्वीकृति संलग्न है।																																																
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डास्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र	प्रस्तावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि पर वनीकरण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का मानचित्र, भूमि का विवरण, व खतौनी की प्रति संलग्न है।																																																

6	निर्देशो के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्र/दस्तावेजों का ब्यौरा।	- मानक शर्तें - लीज अवधि प्रमाण पत्र । - अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के संबंध में जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र । - संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र (रेनुकूट वन प्रभाग) । - संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र (ओबरा वन प्रभाग) । - भारत सरकार/उ.प्र. सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों के संबंध में प्रमाण पत्र - एन.पी.वी.की धनराशि जमा करने के संबंध में बचनबद्धता प्रमाण पत्र - गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा करने के संबंध में बचनबद्धता प्रमाण पत्र । - प्रस्तावित क्षेत्र वन स्वरूप के रूप में चिन्हित नहीं है , से संबंधित प्रमाण पत्र । - लागत लाभ विश्लेषण एवं साइलिऐन्ट फीचर्स । - वन अधिकार के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जिलाधिकारी सोनभद्र का प्रमाण पत्र - प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट । - प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट । - परियोजना की स्वीकृति आदेश । - जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा दुद्धी एवं राबर्ट्सगंज तहसील हेतु जारी भूमि का सर्किल दर । - परियोजना में प्रभावित रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत वन भूमि का ग्रामवार विवरण । - परियोजना में प्रभावित ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत वन भूमि का ग्रामवार विवरण । - गैर वन भूमि में वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धन की मांग की पूर्ति हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र । - रेनुकूट वन प्रभाग के वन भूमि में प्रभावित वृक्षों की प्रजातिवार/व्यासवार सूची । - ओबरा वन प्रभाग के वन भूमि में प्रभावित वृक्षों की प्रजातिवार/व्यासवार सूची । - प्रभावित होने वाले वृक्षों के पातन हेतु आवश्यक धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र । - पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी स्वीकृति आदेश की प्रति । - क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि में वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने का प्रमाण पत्र । - क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र । - प्रस्तावित क्षतिपूरक वनीकरण हेतु धन की मांग हेतु प्राक्कलन एवं सम्बन्धित प्रमाण पत्र । - क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि से संबंधित राजस्व मानचित्र । - क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि से संबंधित टोपो शीट 1:50000 स्केल का । - नहर के संरेखण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र । - नहर के क्रास सेक्शन से सम्बन्धित मानचित्र । - प्रस्तावित क्षेत्र से सम्बन्धित सर्वे आफ इण्डिया की टोपो शीट 1:50000 स्केल का । - डिजीटल मैप ।
---	--	---

दिनांक— 24/05/16

स्थान— पिपरी(सोनभद्र)

अधिशोषी अभियंता,
कनहर निर्माण खण्ड—प्रथम,
पिपरी—सोनभद्र

(प्रयोक्ता एजेंसी)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं०

(गणित की तारीख के साथ नोट्स अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)